

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश


क्र./प्रशि./2016/296

भोपाल,दिनांक 11/08/16

//आदेश//

संचालनालय के आदेश क्र./प्रशि./2016/260 दिनांक 18.07.16 एवं क्र. 280 दिनांक 27.07.16 के द्वारा आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल में दिनांक 22.08.16 से 02.09.16 की अवधि में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (कोड क्र. 231) में भाग लेने हेतु विभागीय चिकित्साधिकारियों को नामांकित किया गया है।


आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा अपरिहार्य कारणों से इस प्रशिक्षण को स्थगित किए जाने की सूचना प्राप्त होने के अनुक्रम में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


(डॉ. बी.एस. ओहरी)
संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
भोपाल,दिनांक /08/16

पृ. क्र./प्रशि./2016/

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित/प्रेषित :-

1. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी भोपाल, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खरगौन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, सीहोर, अशोकनगर, झाबुआ, पन्ना, राजगढ़, रतलाम, हरदा, धार, मंदसौर, अलीराजपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, खंडवा, बैतूल, छतरपुर, अलीराजपुर, सिवनी, बड़वानी एवं शहडोल, की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपके अधीन कार्यरत नामांकित चिकित्सकों को उपरोक्तानुसार जानकारी से अवगत कराते हुए उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त न करें। (पूर्व नामांकन आदेश आपको दिनांक 19 एवं 28 जुलाई को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया है, साथ ही यह विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।)
5. समस्त संबंधित चिकित्सा अधिकारियों की ओर पालनार्थ।


संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश